# डिक्री

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
## पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 – 188/2024

अनवान : –

1. राजपाल पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. सुरेश पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
3. राजबाला पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।

:–वादीगण

**बनाम**

1. जयसिंह पुत्र धन्ना जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:–प्रतिवादीग

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री लीलाधर अग्रवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री नरेन्द्र सिहाग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 6 एएमएस के खाता सं0 32/24 के मु0 न0 41 के किला न0 21, 22, मु0 न0 45 के किला न0 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 25/1, 25/2 कुल 1.771है0 जिसमें नहरी 1.6330है0, गै0 मु0 खाला 0.125है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0130है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह के नाम व रोही मौजा चक 5 एएमएस के खाता सं0 38/33 के मु0 न0 63 के किला न0 20, 21, मु0 न0 69 के किला न0 21, 22 कुल 1.012है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह अकेले के बजाए वादीगण सं0 1 राजपाल, वादीगण सं0 2 सुरेश, वादीगण सं0 3 राजबाला व प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 5/5/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.09 11:06:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि०न० — 100/2024

उनवान : —

1. राजपाल पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. सुरेश पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
3. राजबाला पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।

:—वादीगण

बनाम

1. जयसिंह पुत्र धन्ना जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री लीलाधर अग्रवाल वादी
श्री नरेन्द्र सिहाग प्रतिवादी

निर्णय दिनांक:

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 6 एएमएस के खाता सं० 32/24 के मु० न० 41 के किला न० 21, 22, मु० न० 45 के किला न० 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 25/1, 25/2 कुल 1.771है० जिसमें नहरी 1.6330है०, गै० मु० खाला 0.125है०, गै० मु० रास्ता 0.0130है० कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 जयसिंह के नाम व रोही मौजा चक 5 एएमएस के खाता सं० 38/33 के मु० न० 63 के किला न० 20, 21, मु० न० 69 के किला न० 21, 22 कुल 1.012है० नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 जयसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति—रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं० 2 स्टेट की ओर [illegible] पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.09 11:06:50 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। [illegible] वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि रोही मौजा 5 एएमएस व 6 एएमएस वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद [illegible] स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा चक 6 एएमएस के खाता सं० 32/24 के मु० न० 41 के किला न० 21, 22, मु० न० 45 के किला न० 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 25/1,

Kalpit
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
[illegible] जिला-हनुमानगढ़

25/2 कुल 1.771है0 जिसमें नहरी 1.6330है0, गै0 मु0 खाला 0.125है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0130है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह के नाम व रोही गौजा चक 5 एएमएस के खाता सं0 38/33 के मु0 न0 63 के किला न0 20, 21, मु0 न0 69 के किला न0 21, 22 कुल 1.012है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण के साथ-साथ प्रतिवादी का जन्म से एक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 के वादीगण सं0 1 ता 3 के अलावा अन्य कोई वारिश नहीं होना स्वीकार किया गया है। उपरोक्त वाद भूमि में वादीगण के साथ साथ प्रतिवादी सं 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही गौजा चक 6 एएमएस के खाता सं0 32/24 के मु0 न0 41 के किला न0 21, 22, मु0 न0 45 के किला न0 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 25/1, 25/2 कुल 1.771है0 जिसमें नहरी 1.6330है0, गै0 मु0 खाला 0.125है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0130है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह के नाम व रोही गौजा चक 5 एएमएस के खाता सं0 38/33 के मु0 न0 63 के किला न0 20, 21, मु0 न0 69 के किला न0 21, 22 कुल 1.012है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह अकेले के बजाए वादीगण सं0 1 राजपाल, वादीगण सं0 2 सुरेश, वादीगण सं0 3 राजबाला व प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 5/5/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.09 11:06:50 IST
Reason: SelfAttested